न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 333 सन् 2014

माधव गोस्वामी व अन्य..............वादीगण

बनाम

कमल गोस्वामी व अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक–03.04.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 03. 03.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण की ओर से आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0 1 कमल गोस्वामी की मृत्यु दिनांक 12.11.2019 को हो गई। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1 कमल गोस्वामी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके आवेदन में लिखित वारिसानां का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

आवेदन में प्रतिवादीगण की ओर से नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 1 कमल गोस्वामी प्रस्तुत वाद में पक्षकार थे। जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन वादीगण की ओर से दाखिल किया है। प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है। अतः न्यायहित में वादोगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत किया जाता

है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर प्रतिवादी सं0 1 कमल गोस्वामी का नाम वादपत्र से काटकर उनके स्थान पर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 17.04.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।